हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार

की

14वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 04.10.1991

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की चतुर्दश बैठक दिनांक 4-10-91 में विचारणीय विषयों की सूची:-

मद संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन।	1-7
2.	प्रस्तावित बजट वर्ष 1991 एवं वर्ष 90-91 का आय व्यय लेखा	8
3.	प्राधिकरण की सोचनीय वित्तीय स्थिति एवं भावी योजनाओं हेतु भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में ।	9-11
4.	अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधों के शमन करने के संबंध में	12
5.	विकास क्षेत्र हरिद्वार के अन्तर्गत ग्राम अहमदपुर कड़च्छ के खसरा नम्बर 505 के भूउपयोग परिवर्तन के संबंध में ।	13
6.	ट्रैफिक प्लान के संबंध में ।	14
7.	उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण के आवास के संबंध में-	15
8.	गंगा परियोजना निदेशालय दिल्ली द्वारा संचालित नॉन-जलनिगम योजनाओं के सम्बन्ध में।	16-18
9.	प्राधिकरण से सम्बन्धित उच्चन्यायालय तथा सर्वोच्चन्यायालय-में विचाराधीन महत्वपूर्ण वादों के सम्बन्ध में।	19-22

उपाध्यक्ष/अध्यक्ष एवं आयुक्त महोदय

निवेदन है कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार की बैठक दिनांक 4-10-91 का कार्यवृत तैयार कर दिया गया है। कृपया इसका अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

(रूद्रशेखर मिश्र) 26/X/91
सचिव

26/10/91
उपाध्यक्ष

7.XI.91

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की चतुर्दश बैठक दिनांक 4-10-91 की कार्यवाही।

बैठक का स्थान- हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

समय- 11.00बजे पूर्वान्ह।

उपस्थिति-
=======

1-	श्री जितेन्द्रनाथ रंजन, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष।	
2-	श्री राजीव गुप्ता, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।	उपाध्यक्ष।	
3-	श्री उमाकान्त, जिलाधिकारी, हरिद्वार	सदस्य	
4-	श्री सुधाकर शुक्ल, उपनिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (निर्माण) लखनऊ।	सदस्य	(संयुक्त निदेशक, वित्त, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 242 जवाहर भवन लखनऊ के प्रतिनिधि
5-	श्री विजय कुमार गुप्ता, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, मेरठ	सदस्य	(मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)
6-	श्री एस0एस0नेगी, महाप्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, कनखल, हरिद्वार।	सदस्य	(प्रबन्ध निदेशक जल निगम, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)
7-	श्री राज कुमार अरोड़ा, अध्यक्ष, नगरपालिका, हरिद्वार	सदस्य	
8-	श्री वीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, नगरपालिका, ऋषिकेश।	सदस्य	
9-	श्री गोपालदत्ताचार्य, अध्यक्ष, नोटिफाइड एरिया मुनि की रेती, ऋषिकेश।	सदस्य	
10-	श्री दयानन्द, कार्य अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग हरिद्वार।	-	
11-	श्री हरदेवसिंह, अपर जिलाधिकारी, अर्धकुम्भ-92 हरिद्वार।	-	

मद सं0-1
=======

विषय:- विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन।

प्राधिकरण की विगत त्रैयोदश बैठक दिनांक 20-4-91 को सम्पन्न हुई थी। कार्यवाही की प्रतियां सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित कर दी गयी थी। प्राधिकरण के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने की कृपा करें।

विगत बैठक में लिए गये निर्णयों के क्रियान्वयन की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	विषय	कार्यवाही
{1}	चण्डीदेवी के लिए रोप-वे लगाने के सम्बन्ध में।	इस प्रकरण में विगत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मैसर्स उषा ब्रेको प्रा0लि0, दिल्ली के प्रतिनिधि से वार्ता करके यह अपेक्षा की गयी थी कि फर्म द्वारा विस्तृत कास्टिंग प्राप्तकरके लाभांश में समुचित भागीदारी केप्रस्ताव उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार कराकर वस्तुत स्थिति से अध्यक्ष को अवगत कराया जाय एवं जिला परिषद एवं विकास प्राधिकरण की योजना में पारस्परिक भागीदारी अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा निर्धारित की जाय। इस सम्बन्ध में मैसर्स उषा ब्रेको प्रा0लि0से लिखित तथा मौखिक सम्पर्क करके विस्तृत कास्टिंग एवं लांभाश में भागीदारी के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी मैसर्स उषा ब्रेको द्वारा अवगत कराया गया कि वांछित प्रस्ताव जिला परिषद, हरिद्वार को उपलब्ध करा दिये गये है। इन प्रस्तावों की प्रतियां अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, हरिद्वार से बराकर मांगी जा रही है, परन्तु उनके द्वारा प्राधिकरण को कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
{2}	सुभाष घाट एवं जान्हवीं मार्केट में अवैध रूप से घाट की ओर	इस प्रकरण में नगर पालिका, हरिद्वार द्वारा सर्वे आख्या प्रस्तुत की जानी थी तत्पश्चात प्रकरण को अध्यक्ष

क्रमशः....2....

जी/

मद संख्या-1
विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एंव लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन:-

प्राधिकरण की विगत बैठक दिनॉक 20-4-91 की कार्यवाही एंव उस पर लिए गये निर्णयों तथा कृत कार्यवाही से प्राधिकरण को अवगत कराया गया। विगत बैठक की मदों/उपमदों पर निम्नांकित निर्देश प्राधिकरण द्वारा दिए गये-

1- चण्डी देवी में रोप-वे लगाने के सम्बन्ध में-

इस प्रकरण में यह सन्दर्भित था कि उषा ब्रेको प्रा0लि0, दिल्ली से विस्तृत कास्टिंग प्राप्त करके लाभांश में समुचित भागीदारी का प्रस्ताव प्रस्तुत करके अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा पारस्परिक भागीदारी निर्धारित की जायेगी। वान्छित प्रस्ताव जिलाधिकारी हरिद्वार से प्राप्त करके भागीदारी का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाने का निर्णय लिया गया साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इस योजना को हरिद्वार विकास प्राधिकरण एंव जिला परिषद, हरिद्वार संयुक्त रूप से क्रियान्वित करेगें।

2- सुभाषघाट एंव जान्हवीं मार्केट में अवैध रूप से घाट की ओर खोली गयी दुकानों केसम्बन्ध में।

इस प्रकरण में यह सन्दर्भ निहित था कि नगरपालिका, हरिद्वार के उप-नियमों का उल्लघंन करके घाट की ओर खोलकर चलायी जाने वाली दुकानों का सर्वे कराकर सर्वे आख्या अध्यक्ष महोदय से निर्णित करायी जाय।सर्वे से सम्बन्धित कुछ आवश्यक सूचना नगरपालिका, हरिद्वार से प्राप्त नहीं हुई थी।अब अध्यक्ष, नगर पालिका द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वान्छित सूचना शीघ्र प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी जायेगी।

अतः वान्छित सूचना मंगाकर औपचारिकताओं की पूर्ति करके प्रकरण को पूर्व निर्णय के अनुसार आयुक्त महोदय के समक्ष रखकर निर्णित करा लिया जायेगा।

3- सतीकुण्ड के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में-

इस प्रकरण में सतीकुण्ड की भूमि प्राप्त करके सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जाना था। बैठक में उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि निरंजनी अखाडा इस स्थल पर सौन्दर्यीकरण तो चाहता है परन्तु भूमि को लिखित रूप में हस्तान्तरित करने को तैयार नहीं है। इस पर सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह कार्य जनहित में अर्द्धकुम्भ मेला की आवश्यकतानुसार कराया

-----2

सचिव
विकास प्राधिकरण

बोली गयी दुकानों के सम्बन्ध में।

§3§सतीकुण्ड के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।

§4§सिंह द्वार कनखल चौराहे के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।

§5§नगरपालिका,हरिद्वार क्षेत्र में सीवर लाइन डालने के सम्बन्ध में।

§6§परमार्थ आश्रम के सामने सड़क चौड़ी करने के सम्बन्धमें।

महोदय द्वारा निर्णित कराया जाना था। नगर पालिका द्वारा दुकानदारों की सूची दे दी गई है। किन्तु अन्य आवश्यक सूचना अभी प्राप्त होना बाकी है।

इस प्रकरण में प्राधिकरण के निर्णयानुसार भूमि प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी,हरिद्वार की अध्यक्षता में बैठक की गयी। वस्तुतः यह भूमि निरंजनी अखाड़े की है।लेकिन वे बैठक में उपस्थित नहीं हुए।निरंजनी अखाड़े के प्रतिनिधि से वार्ता की जा रही है। यह कार्य निर्णय के अनुसार अर्द्धकुम्भ से पूर्व यथाशीघ्र समय से पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहाहै इसके लिए प्राधिकरण द्वारा आगणन तैयार करलिया गया है।धन की माँग शासन से की जा चुकी है।

प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार इस प्रकरण में लोक-निर्माण विभाग से सौन्दर्यीकरण मानचित्र प्राप्त कर लिया गया है। गुरूकुल कांगड़ी संस्थान तथा लोक निर्माण विभाग से वार्ता चल रही है।सौन्दर्यीकरण के विषय में रोटरी को छोटा किया जाना/सड़क को चौड़ा करने के प्रस्ताव निहित है।

इस प्रकरण में प्राधिकरण निर्णय के अनुसार जल निगम इकाई,हरिद्वार/गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई हरिद्वार से आगणन तैयार कराने को कहा गया है उसके द्वारा प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए लागत का 4% माँगा गया है। उनसे फिलहाल फोरकास्ट आफ कॉस्ट शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है।

इस प्रकरण में प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध सड़क के दोनों ओर शोल्डर बनवाकर एक-एक मीटर की दूरी तक खड़न्जा लगवाकर कार्य अर्द्ध-कुम्भ मेले के बजट से कराये जाने वाले कार्यों के अन्तर्गत पूरा करा दिया जायेगा अभी तक मेला के परिपेक्ष्य में स्वीकृत ग्रांट नगरपालिका /जिलाधिकारी द्वारा

--- 3

माना आवश्यक है।अतः यदि भूमि हस्तान्तरित भी नहीं होतीहै तो निरंजनी अखाड़े द्वारा कार्य कराने की सहमति मात्र लेकर सौन्दर्यीकरण कार्य को कराया जाये। उनसे यह भी सहमति ली जाये कि भविष्य में वे इसका अनुरक्षण करायेंगे तथा इसे सार्वजनिक उपयोग हेतु खुला रखेंगें।

4- सिंहद्वार,कनखल चौराहे के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में-

इस प्रकरण में यह निर्णय लिया गया था कि यह योजना गुरूकुल कांगड़ी संस्थान से सहयोग लेकर लोक निर्माण विभाग एंव हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जाये तथा इसमें हरिद्वार के गाइड मैप आदि को भी सम्मिलित किया जाय। इस कार्य को कराने में यह आवश्यक पाया गया था कि रोटरी के छोटा करने तथा सड़क को चौड़ा करना आवश्यक है।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सड़क को दोनों ओर 100-100 मीटर तक आवश्यकतानुसार चौड़ा करने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्द्ध-कुम्भ मेला बजट से पूर्ण कर दिया जाय।

5- नगरपालिका हरिद्वार क्षेत्र में सीवर लाईन डालने के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण में यह तथ्य निहित था कि नगरपालिका क्षेत्र के जिन स्थानों में सीवर नहीं हैं वहाँ सीवर लाईन डालकर गंगा में जाने वाली गन्दगी को रोका जाय।प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार जल निगम इकाई/गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, हरिद्वार से आगणन तैयार कराने को कहा गया था।उनके द्वारा प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए लागत का चार प्रतिशत धन माँगा गया है। उनसे फोरकास्ट आफ कास्ट उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई हरिद्वार के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि इस कार्य में लगभग 23 करोड व्यय होने का अनुमान है। इस पर प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई,हरिद्वार से फोर कास्ट आफ कास्ट का विवरण प्राप्त करके इस कार्य हेतु धन उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव 3090 शासन को भेजा जाये।

6- परमार्थ आश्रम के सामने सड़क चौड़ी करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार उपलब्ध सड़क के दोनों ओर शोल्डर बनवाकर एक-एक मीटर की दूरी तक खड़न्जा लगवाकर कार्य अर्द्धकुम्भ मेले से कराये जाने का निर्णय लिया गया था।यह निर्णय लिया गया कि धनराशि अवमुक्त होते ही कार्य कराया जाय।

आहरित कर प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

§7§महायोजना में "कुम्भमेला भूमि" को हरित पट्टी §मेला§ दर्शाये जाने के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण पर सरप्राइज होटल के पास तथा बाई पास रोड पर यादव धर्मशाला के पास वाली भूमि जो कुम्भ मेला भूमि के लिए आरक्षित थी, उसको वर्तमान महायोजना में आवासीय कर दिया गया है यह भूमि कुम्भ मेला में पार्किंग हेतु प्रयोग की जाती रही है, उसके आवासीय हो जाने से भावी कुम्भमेला में भारी कठिनाईयाँ सम्भावित हैं। इस प्रकरण पर विचारोपरान्त पूर्व बैठक दिनाँक 20-4-91 में यह निर्णय लिया गया था कि उपाध्यक्ष, हरिद्वार - विकास प्राधिकरण एंव सहयुक्त नियोजक, मेरठ के साथ प्रश्नगत स्थानों का निरीक्षण करनेके पश्चात यह देख लें कि किन परिस्थितियों में पूर्व आरक्षित भूमि को कुम्भ मेला भूमि के स्थान पर आवासीय दर्शाया गया है, एंव क्या वैकल्पिक व्यवस्था उचित है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष/मेलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेला, सहयुक्त नियोजक, मेरठ तथा अन्य अधिकारियों द्वारा गहन स्थल निरीक्षण किया गया और यह तथ्य सामने आया कि यह स्थल कुम्भ मेला में पार्किंग हेतु प्रयुक्त होते रहे हैं और आगामी कुम्भ/अर्द्धकुम्भ में भी इन स्थलों पर पार्किंग कराया जाना अपरिहार्य होगा। उसके अतिरिक्त कुम्भ मेला 1986 की ट्रेफिक प्लान में दर्शाये गये स्थलों, जो पार्किंग हेतु प्रयोग में आते रहे हैं, उनका भू-उपयोग भी महायोजना में कुम्भ मेला क्षेत्र नहीं दर्शाया गया है ऐसे स्थल प्रमुखतः तीन हैं-गुरूकुल कांगड़ी विश्व-विद्यालय के पास की भूमि, जगजीतपुर के पास एंव माँ आनन्दमयी आश्रम से लक्सर रोड की ओर जाने वाली सडक के पास की भूमि।

वाहनों की बढ़ती संख्या, श्रद्धालुओं, यात्रियों

----4

की संख्या में वृद्धि एंव सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकताओं हेतु भूमि की आवश्यकतायें बढ रही हैं। विस्तृत सैक्टर प्लान एंव ट्रैफिक प्लान में जो स्थल कुम्भ मेला के उपयोग में आयेगें उनका भू-उपयोग महायोजना में कुम्भ मेला दर्शाया जाना अति-आवश्यक होगा।

(8) ऋषिकेश एंव मुनि की रेती क्षेत्रों की महायोजना के सम्बन्ध।

इस प्रकरण पर प्रस्तावित क्षेत्र की महायोजना उपलब्ध कराने हेतु सहयुक्त नियोजक, मेरठ से कार्यवाही अपेक्षित थी। कृत कार्यवाही पर मुख्यनगर एंव ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि प्राधिकरण को अवगत करायेगें।

(9) हरकी पैडी में पहाड की ओर स्थित बहुमंजिले जर्जर भवन को ध्वस्त किए जाने के सम्बन्ध में।

विगत बैठक में इस प्रकरण पर यह निर्णय लिया गया था कि हरकी पैडी पर स्थित पहाड की ओर जर्जर बहुमंजिले भवन को नगरपालिका द्वारा ध्वस्त किए जाने की कार्यवाही की जाये। नगरपालिका द्वारा यह सूचित किया गया कि भवन स्वामी एंव प्रान्तीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, हरिद्वार के मध्य भवन के जीर्ण-शीर्ण होने सम्बन्धी वाद न्यायालय में लम्बित है। अतः ऐसी स्थिति में भवन को गिराया जाना उचित नहीं है। इस प्रकरण की अद्यावधिक स्थिति लोक निर्माण विभाग से प्राप्त की जा रही है, जिसका व्यौरा बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(10) अनाधिकृत रूप से निर्मित भवनों में पानी व बिजली के कनैक्शन न देने के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण में यह निर्णय लिया गया था कि नगर पालिका एंव विद्युत विभाग किसी भी उपभोक्ता को जल/विद्युत कनेक्शन देने से पूर्व हरिद्वार विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत होने का प्रमाण-अथवा प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र होने पर कनेक्शन स्वीकृत किया जाय। इस सम्बन्ध में दोनों विभागों को अनुपालन हेतु लिखा गया। नगरपालिका

-----5

पैडी/

7- महायोजना में कुम्भ मेला भूमि को हरित पट्टी दर्शाये जाने के सम्बन्ध में।

सरप्राइज होटल के पास तथा बाई पास रोड पर यादव धर्मशाला के पास वाली भूमि को विगत बैठक दिनाँक 20-4-91 में लिए गये निर्णय के क्रम में उपाध्यक्ष/मेलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेला, सहयुक्त नियोजक मेरठ तथा अन्य अधिकारि द्वारा गहन स्थल निरीक्षण किया गया और यह तथ्य सामने आया कि यह स्थल कुम्भ मेला में पार्किंग हेतु प्रयुक्त होते रहे हैं और आगामी कुम्भ/अर्द्धकुम्भ में भी इन स्थलों पर पार्किंग कराया जाना अपरिहार्य होगा। उसके अतिरिक्त कुम्भ मेला, 1986 की ट्रैफिक प्लान में दर्शाये गये स्थलों, जो पार्किंग हेतु प्रयोग में आते रहें हैं, उनका भू-उपयोग भी महायोजना में कुम्भ मेला क्षेत्र नहीं दर्शाया गया है, ऐसे स्थल प्रमुखतः तीन है-गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालयके पास की भूमि, जगजीतपुर के पास एंव माँ आनन्दमयी आश्रम से लक्सर रोड की ओर जाने वाली सडक के पास की भूमि। प्राधिकरण में इस तथ्य को नोट किया गया कि वाहनों की बढती संख्या, श्रद्धालुओं यात्रियों की संख्या में वृद्धि एंव सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकताओं हेतु भूमि की आवश्यकतायें बढ रही हैं। यह निर्देश दिए गये कि नवम्बर 1991 तक विस्तृत सैक्टर प्लान एंव सैक्टर प्लान में जो स्थल कुम्भ मेला उपयोग में लाये जाने आवश्यक हैं, के विषय में प्राधिकरण को अवगत कराया जाय।

8- ऋषिकेश एंव मुनि की रेती क्षेत्रों की महायोजना के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्रों की महायोजना नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा निहित थी। उस विभाग के प्रतिनिधि सहयुक्त नियोजक, मेरठ ने आश्वासन दिया कि आगामी तीन माह में इन क्षेत्रों की योजना काप्रारूप प्राधिकरण को उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस आश्वासन को प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

9- हरकी पैडी क्षेत्र में पहाड की ओर स्थित बहुमंजिले जर्जर भवन को ध्वस्त किए जाने के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण में यह निहित था कि प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार हरकी पैडी पर स्थित पहाड की ओर जर्जर बहुमंजिले भवन को नगरपालिका द्वारा ध्वस्त किए जाने की कार्यवाही की जाये। नगरपालिका द्वारा यह अवगत कराया गया कि भवन स्वामी एंव लोक निर्माण विभाग के मध्य वाद न्यायालय में लम्बित होने के कारण भवन गिराया जाना उचित नहीं है। अपर मेलाधिकारी अर्द्धकुम्भ मेला द्वारा अवगत

सचिव
विकास प्राधिकरण

----4

कराया गया कि भवन तथा एक दीवार की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। अतः इस ओर प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अपर मेलाधिकारी,नगरपालिका एंव लोक निर्माण विभाग की सम्बन्धित पत्रावलियॉ देखकर समुचित कार्यवाही करायें।

10- अनाधिकृत रूप से निर्मित भवनों में पानी/बिजली के कनैक्शन न देने के संबंध में।

इस प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि नगरपालिका एंव विद्युत विभाग किसी भी उपभोक्ता को कनैक्शन देने से पूर्व हरिद्वार विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत होने का प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र होने पर ही कनैक्शन स्वीकृत किया जाय। इस प्रकरण पर अध्यक्ष,नगरपालिका द्वारा यह अनुरोध किया गया कि मानचित्र स्वीकृति से पूर्व नगरपालिका से अनापत्ति प्राप्त करने के बाद ही मानचित्र स्वीकृत किए जॉय।

प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मानचित्र प्राप्त होने पर नगरपालिका हरिद्वार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने हेतु 15 दिन का समय दिया जाय यदि 15 दिन के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा कोई प्रतिउत्तर नहीं प्राप्त होता तो अनापत्ति मानकर मानचित्र स्वीकृत करने की कार्यवाही कर दी जाय। विद्युत विभाग से यह अपेक्षा की गयी कि स्वीकृत मानचित्र देखकर ही विद्युत कनैक्शन दिए जॉय।

11- नदी तटीय विकास से सम्बन्धित भौतिक बाउन्ड्री के सीमांकन के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण में भौतिक बाउन्ड्री के सीमांकन का प्रकरण निहित था। यह प्रकरण समीक्षा हेतु मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक,लखनऊ को प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार भेजा गया है जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है।इस सम्बन्ध में नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि इसकी समीक्षा सहित आख्या यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।इस प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये।

12- चण्डीघाट चौराहे पर गंगा अवतरण की मूर्ति स्थापना के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण में गंगा सभा हरिद्वार द्वारा चण्डीघाट चौराहे पर गंगा अवतरण की मूर्ति एंव हरकी पैडी पर गंगाद्वार के मॉडल अध्यक्ष महोदय को अवलो[कन हेतु] प्रस्तुत किए गये हैं।

---5

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण

ने सूचित किया है कि जलकल विभाग द्वारा मानचित्र स्वीकृत देखकर ही कनेक्शन दिए जा रहे हैं, परन्तु विद्युत विभाग द्वारा महायोजना की प्रति मॉगी गयी जो भेज दी गयी है।अतः विद्युतविभाग को निर्देश दिए जॉय कि स्वीकृत मानचित्र देखकर ही कनैक्शन दिए जॉय,तत्पश्चात प्रकरण को समाप्त कर दिया जाय।

§11§ नदी तटीय विकास से सम्बन्धित भौतिक बाउन्ड्री के सीमांकन के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण पर मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक से आख्या अपेक्षित थी। इस सम्बन्ध में उनके प्रतिनिधि अवगत करायेगें।लक्ष्मण झूला क्षेत्र में तेरह मंजिल वाले मन्दिर के अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिनॉक 17-7-91 को किए जा चुके हैं। ध्वस्तीकरण आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा अध्यक्ष/आयुक्त महोदय,मेरठ के समक्ष अपील दायर की गयी है,जो विचाराधीन है।

इस प्रकरण में संयुक्त सचिव,आवास अनुभाग-4, के शासनादेश संख्या-2761/9-आवास-4-91 दिनॉक 17-9-91 द्वारा अग्रिम आदेशों तक निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही पर रोक लगायी गयी है।

§12§ चण्डीघाट चौराहे पर गंगा अवतरण की मूर्ति स्थापना करने के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण पर हरकी पौड़ी पर गंगाद्वार बनाने एंव चण्डी पुल के पास चौराहे पर गंगा अवतरण की मूर्ति स्थापित करने हेतु श्री गंगा सभा,हरिद्वार से सहयोग की अपेक्षा की गई थी। तद्नुसार श्री गंगा सभा द्वारा सूचित किया गया कि हरकी पौड़ी पर प्रस्तावित द्वार के निर्माण हेतु मूर्तिकार से डिजाइन कराया जा रहा है और चण्डी घाट चौराहे पर गंगा अवतरण की मूर्ति दिल्ली के आर्कीटेक्ट से माडल अपेक्षित है। अतः डिजाइन प्राप्त होने के उपरांत कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी। श्री गंगासभा के प्रतिनिधियों ने मौखिक रूप से दिनांक 2.10.91 तक गेट का मॉडल व गंगा अवतरण का मानचित्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

......6

§13§ ट्रैफिक प्लान के संबंध में ।

विगत बैठक दिनांक 20.4.91 में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने संबंधी विवरण प्रस्ताव पृथक से मद संख्या-6 में रखा जा रहा है।

§14§ प्रस्तावित बजट वर्ष 91-92 एंव वर्ष 90-91 का व्यय लेखा ।

विगत बैठक की मद संख्या-2 के रूप में बजट प्रस्तावित किया गया था। बजट प्रावधानों को कम मानते हुए प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि बजट संशोधित करके प्रस्तुत कियाजाय। अतः प्राधिकरण के निर्णय की अपेक्षानुसार संशोधित बजट प्रस्ताव इस बैठक की मद संख्या-2 में पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

§15§ प्राधिकरण की शोचनीय वित्तीय स्थिति एंव भावी योजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में ।

इस प्रकरण में विगत बैठक की मद संख्या-3 पर लिए गए निर्णय के अनुपालन में कृत कार्यवाही का ब्यौरा एंव प्रस्ताव इस बैठक की मद संख्या-3 पर पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

§16§ पूर्व उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के बाद स्वीकृत कालोनियों के ले-आउट एंव आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति को मान्यता दिए जाने के संबंध में ।

इस प्रकरण में यह निर्णय लिया गया था कि चारों पत्रावलियों की जांच करके पुनरीक्षण हेतु आख्या सहित अध्यक्ष/आयुक्त महोदय को प्रस्तुत की जाय। निर्णय के अनुसार जांच आख्या सहित चारों पत्रावलियां आयुक्त महोदय को पुनरीक्षण हेतु प्रेषित की जा चुकी है । इस प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा बाह्य विकास शुल्क का पुनरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने तथा आन्तरिक विकास सुनिश्चित कराने के लिए सुविधा कराने के लिए भूमि/भवन बन्धक रखने की अपेक्षा की गई थी। प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार पुनरीक्षण आख्या सहित प्रकरण आयुक्त महोदय को निर्णय हेतु भेजा जा रहा है ।

§17§ प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार श्री सुबोध कुमार का टैण्डर स्वीकृत किए जाने के संबंध में ।

इस प्रकरण में यह निर्णय लिया गया था कि जांच की जाय कि टैण्डर स्वीकृत करने में कोई अवैधानिकता तो नहीं बरती गई। यदि कोई अवैधानिकता नहीं पाई जाती और उपाध्यक्ष इससे सन्तुष्ट हैं तो प्रकरण समाप्त कर दिया जाये। इस परिपेक्ष्य में समीक्षा की गई और जांचोपरांत यह पाया गया कि

.....7

जोशी/

13- ट्रैफिक प्लान के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण में मद संख्या-6 में निर्णय लिया गया है।

14- प्रस्तावित बजट वर्ष 91-92 एंव वर्ष 90-91 का व्यय लेखा।

इस प्रकरण में मद संख्या-2 में निर्णय लिया गया है।

15- प्राधिकरण की शोचनीय वित्तीय स्थिति एंव भावी योजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण में मद संख्या-3 में निर्णय लिया गया है।

16- पूर्व उपाध्यक्ष,हरिद्वार विकास प्राधिकरण के स्थानान्तरण आदेश के बाद स्वीकृत कालोनियों के ले-आउट एंव आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति को मान्यता जाने के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण में यह निर्देश दिए गये कि आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिए जाने हेतु स्थलों के सजरों को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय।

17- प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार श्री सुबोध कुमार का टैण्डर स्वीकृत किए जाने सम्बन्ध में।

प्रस्ताव के अनुसार प्रकरण समाप्त किया गया है।

18- प्राधिकरण अधिकारियों/कर्मचारियों को दैनिक भत्ते की उपलब्धता के संबंध में

प्रस्ताव के अनुसार प्रकरण समाप्त किया गया है।

19- यात्रा व्यवस्था हेतु शासन से प्राप्त होने वाले 10 लाख के अनुदान के सम्बन्ध

प्रस्ताव के अनुसार कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी।

20- उपाध्यक्ष,हरिद्वार विकास प्राधिकरण के आवास के सम्बन्ध में।

इस पर निर्णय मद संख्या-7 में लिया गया है।

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

टैण्डर स्वीकृति में कोई अवैधानिकता नहीं बरती गई। अतः प्रकरण निर्णय के अनुसार समाप्त कर दिया गया ।

§18§ प्राधिकरण अधिकारियों/कर्मचारियों को दैनिक भत्ते की उपलब्धता के संबंध में।

इस प्रकरण में पूर्व में यह प्रस्तावित किया गया था कि शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दैनिक भत्ता अत्यन्त कम दरों पर अनुमन्य है, जबकि अन्य प्राधिकरणों में आदि में अधिक दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु अन्य विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों से विचार विमर्श करने पर पाया गया कि दैनिक भत्ता शासन द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार ही भुगतान किया जाता है। अतः शासन द्वारा निर्धारित नीति पर विचारोपरांत यह प्रस्तावित है कि शासन द्वारा निर्धारित दैनिक भत्ते की अनुमन्यता उचित है तथा पूर्व प्रस्ताव समाप्त करने योग्य है ।

§19§ यात्रा व्यवस्था हेतु शासन से प्राप्त होने वाले रू0 10.00 लाख के अनुदान संबंधी ।

इस प्रकरण में प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार शासकीय निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। शासन से प्राप्त अनुदान के विरूद्ध ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन से डी0जी0बी0आर0 सड़क तक की दूरी में सड़क का निर्माण कार्य डी0जी0 बी0आर0 रोड से बाई पास मार्ग तक रोड निर्माण का कार्य तथा मुनिकी रेती में टैक्सी स्टैण्ड के वर्तमान पार्किंग का विस्तार कार्य कराये जाने का अनुमोदन शासन तथा आयुक्त एंव महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0 पर्वतीय क्षेत्र देहरादून से प्राप्त कर लिया गया है। इन कार्यों पर रू0 12.25 लाख व्यय होना अनुमानित है। इसमें रू0 10.00 लाख से अधिक अर्थात रू0 2.25 लाख का व्यय प्राधिकरण अपने संसाधनों से करेगा। इस कार्य को प्रारम्भ कराया जा रहा है।

§20§ उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के आवास के संबंध में ।

इस प्रकरण से संबंधित प्रस्ताव इस बैठक में मद संख्या–7 में रखा गया है ।

मद संख्या:- 2

विषय:- प्रस्तावित बजट वर्ष 1991 एंव वर्ष 90-91 का आय-व्यय लेखा

प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 20.4.91 में वर्ष 1991-92 का आय-व्ययक लेखा प्राधिकरण के विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ रखा गया था परन्तु बजट प्राविधानों को कम मानते हुए प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि व्यापक प्राविधान करते हुए संशोधित बजट बनाया जाय। अतः प्राधिकरण के निर्णय की अपेक्षानुसार वर्ष 1991-92 का संशोधित प्रस्तावित बजट एंव वर्ष 1990-91 का आय-व्यय लेखा, जिसका विस्तृत विवरण प्राधिकरण की बैठक से पूर्व माननीय सदस्यों को पृथक से उपलब्ध करा दिया जायेगा, बैठक में विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

48

मद संख्या-2

प्रस्तावित बजट,1991-92 एंव वर्ष 1990-91 का आय-व्यय लेखा।

प्राधिकरण की विगत बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार समुचित भावी योजनाओं कासमावेश करके संशोधित बजट वर्ष 1991-92 के लिए रूपये 776-00 ला[ख] (सात करोड छियत्तर लाख)की आय तथा 773.40 लाख(सात करोड तिहत्तर लाख चालीस हजार) के व्यय के प्राविधान का प्रस्ताव रखते हुए बजट आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया। इस पर निम्नांकित निर्देशों के पालन की अपेक्षा करते हुए सर्वसम्मति से वर्ष 1991-92 का बजट एंव वर्ष 1990-91 के आय-व्यय लेखे को अनुमोदित किया गया है।

1- वर्ष 1991-92 हेतु प्रस्तावित आय की समाधान शुल्क मद में रूपये 3.75 लाख की आय के प्रस्ताव के विरूद्ध यह अपेक्षा की गयी कि इस मद में रू0 25.00 लाख की आय प्राप्त करने के ठोस प्रयास किए जॉय,तथा अतिरिक्त प्रस्तावित आय को विकास कार्यों पर व्यय किया जाये। विकास शुल्क की मद में प्रस्तावित आय रूपये 25.00 लाख को रूपये,50.00 लाख की सीमा तक बढाये जाने के प्रयास की अपेक्षा करते हुए अतिरिक्त प्रस्तावित आय को विकास कार्यों में व्यय करने के निर्देश दिए गये।

2- वर्ष 1991-92 के प्रस्तावित व्यय प्राविधानों की राजस्व व्यय मदमें यह निर्देश दिए गये कि रूपये 66.40 लाख के प्रस्तावित व्यय को रूपये,60.00 लाख की सीमा तक नियन्त्रित रखा जाये तथा वेतन आदि की मदों में जो रूपये 6.40 लाख के व्यय की कमी की गयी है उसे विकास व्यय की मद में बढाया जाय।

3- प्राधिकरण द्वारा योजनायें तेजी से चलाये जाने एंव शहर के बाहर सस्ती जमी[न] अधिग्रहण आदि से प्राप्त करके अतिरिक्त भावी योजनायें चलाये जाने के निर्देश प्रदा[न] करते हुए यह अपेक्षा की गयी कि कम से कम रूपये,400.00लाख रूपये (चार करोड) व्यय की अतिरिक्त योजनायें तुरन्त तैयार करके चालू की जॉय तथा इन योजनाओं को चलाने के लिए शासन/हडको आदि से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त कर लिया जा

सचिव
[illegible] विकास प्राधिकरण
[illegible]

जोशी/

मद संख्या-3

विषय- प्राधिकरण की शोचनीय वित्तीय स्थिति एंव भावी योजनाओं हेतु भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में।

यह प्रस्ताव प्राधिकरण की विगत बैठक दिनाँक 20-4-91 की मद सं0-3 में रखा गया था। इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सराय रोड पर पूर्व प्रस्तावित लगभग 20 एकड भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाय। अधिक से अधिक भावी योजनाओं के प्रस्ताव समुचित रुप से तैयार करके प्रस्तुत किए जायेंगे। हरिद्वार जिला मुख्यालय में 200 एकड भूमि प्राप्त करने तथा सम्पूर्ण जिला मुख्यालय के इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी समस्त कार्य जिनकी लागत लगभग रुपये,59.00 करोड आती है। विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जायें।प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की गयी-

1-सीतापुर ग्राम में सराय रोड पर लगभग 20 एकड भूमि का अधिग्रहण-

प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार सराय रोड स्थित भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही तीव्र गति से की गयी है। जिसके फलस्वरुप शासन द्वारा धारा-4 की कार्यवाही को साधारण गजट में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति संख्या-5916/11-5-91-48 एल0ए0/89 लखनऊ दिनाँक 3-9-91 जारी हो चुकी है। अब इस भूमि पर "हरिलोक" नाम की आवासीय योजनायें भवन/भूखण्डों का पंजीकरण खोलने की कार्यवाही को अन्तिम रुप दिया जा रहा है।इससे प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति में सुधार सम्भावित है।

2- ग्राम जगजीतपुर के खसरा नं0-62 तथा 63 की भूमि का अधिग्रहण-

भावी योजना के रुप में ग्राम जगजीतपुर के उक्त खसरा की 3.93 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ,संयुक्त संगठन, सहारनपुर को भेजा गया है। इस भूमि को अधिग्रहण करने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

3- जिला मुख्यालय में लगभग 200 एकड भूमि का प्राप्त किया जाना-

नवसृजित जनपद हरिद्वार के मुख्यालय हेतु 543.10 एकड भूमि शासन द्वारा बी0एच0ई0एल0हरिद्वार से प्राप्त की गयी है। इस भूमि में से 200 एकड भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को कार्य कराने हेतु दी जानी प्रस्तावित की गयी थी।इस प्रस्तावित भूमि को राजस्व विभाग उ0प्र0शासन लखनऊ से हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित भूमि पर योजना को 4 चरणों में पूरा करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रथम चरण में 50 एकड भूमि तत्काल हस्तान्तरित कराकर इस पर आवासीय योजना चलाने की कार्यवाही हेतु

क्रमशः.....

मद संख्या-3

प्राधिकरण की शोचनीय वित्तीय स्थिति एंव भावी योजनाओं हेतु भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में।

1- सीतापुर ग्राम में सराय रोड पर लगभग 20 एकड भूमि का अधिग्रहण-

विगत बैठक के निर्णय के अनुसार सराय रोड स्थित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गयी। शासन द्वारा धारा-4 की कार्यवाही को साधारण गजट में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति संख्या-5916/11-5-91-48एल0ए0/89 लखनऊ दिनाँक 3-9-91 जारी हो चुकी है।इस भूमि पर "हरिलोक"नाम की आवासीय योजना में भवन/भूखण्डों के पंजीकरण की कार्यवाही से प्राधिकरण को अवगत कराया गया।

विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि योजना को तेजी से चलाने के लिए धारा,6/17 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की विज्ञप्ति शीघ्र जारी करने हेतु शासन को पत्र लिखा जाय।

2- ग्राम जगजीतपुर के खसरा नम्बर,62 एंव 63 की भूमि का अधिग्रहण-

ग्राम जगजीतपुर की उक्त खसरा नम्बर की 3.93 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव अध्याप्ति अधिकारी,सहारनपुर को भेजा गया है।अधिग्रहण करने की कार्यवाही से प्राधिकरण को अवगत कराया गया।

3- जिला मुख्यालय में लगभग 200 एकड भूमि का प्राप्त किया जाना।

नवसृजित जनपद हरिद्वार मुख्यालय हेतु 543.10 एकड भूमि शासन द्वारा बी0एच0ई0एल0 हरिद्वार से प्राप्त की गयी है। इस भूमि में से 200 एकड भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को कार्य कराने हेतु दी जानी प्रस्तावित की गयी थी। इसप्रस्तावित भूमि को राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ से हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित भूमि पर योजना को चार चरणों में पूरा करने की कार्यवाही प्रस्तावित है।प्रथम चरण में 50 एकड भूमि तत्काल हस्तान्तरित कराकर इस पर आवासीय योजना चलाने की प्रस्तावित कार्यवाही से प्राधिकरण को अवगत कराया गया। जिला मुख्यालय के इन्फ्रास्ट्रक्चर के रुपये,59.00 करोड के कार्यों के विषय में भी प्राधिकरण से निर्णय की प्रार्थना की गयी।

इस प्रकरण में विचारोपरान्त सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस हेतु राजस्व विभाग एंव शासन को पुनः पत्र भेजकर भूमि हस्तान्तरण एंव इन्फ्रास्ट्रक्चर

---8

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

आयुक्त गढ़वाल के माध्यम से सचिव,राजस्व विभाग,उ0प्र0शासन को अर्द्ध शासकीय पत्र भेजा जा चुका है। उपाध्यक्ष द्वारा पुनः इस विषय में अनुस्मारक भेजा गया है। इन्फ्रा-स्ट्रक्चर के रू0 59.00 करोड़ के कार्यों के विषय में प्राधिकरण से निर्णय अपेक्षित है।

4- मुनि की रेती में भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में:-

ग्राम ढालवाला पुराना के खसरा नं0 7 में लगभग 1600 वर्ग मी0 नजूल भूमि खाली है। इस भूमि पर आवासीय योजना बनाने का प्रस्ताव है। इस भूमि के हस्तान्तरण हेतु जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल व आवास विभाग से अनुरोध किया गया है।

5- शिवलोक आवासीय योजना भाग-2 के सम्बन्ध में:-

प्राधिकरण निर्णय के अनुसार वर्तमान योजना कार्य की समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भावी योजनाओं में तुरन्त वृद्धि हेतु पूर्व प्रस्तावित उपाध्यक्ष,सचिव,मुख्य लेखाधिकारी,सहायक अभियन्ता,अन्य कर्मचारियों के प्रस्तावित आवासों के निर्माण को स्थगित करके उनके स्थान पर 12 एच.आई.जी. एवं 18 ई.डब्लू.एस. भवनों का निर्माण प्रस्तावित किया जायें। मूल योजना के अतिरिक्त इस कार्य हेतु लगभग 30 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। वर्तमान में मकानों के निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। तथा भवनों के पंजीकरण हेतु योजना पंजाब नैशनल बैंक,हरिद्वार के माध्यम से दिनांक 16.9.91 से जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गयी है।

6- हरिद्वार स्थित रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में पार्किंग स्थल बनाये जाने सम्बन्धी:-

प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने एवं आवर्तक आय वृद्धि करने हेतु रोड़ी बेलवाला में एक बड़ा भू-भाग,जो वर्तमान में टूरिस्ट बसों/कारें,निजी वाहनों को [illegible] पार्किंग स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता है,को सिंचाई विभाग से हस्तान्तरित कराकर ऐसा पार्किंग स्थल बनाया जाना प्रस्तावित है जिससे कुम्भ मेले के आयोजनों पर [illegible] कार्यों हेतु प्रयोग किया जा सके तथा अतिरिक्त समय में इस भू-भाग को वाहनों के पार्किंग हेतु पार्किंग शुल्क लगाकर प्रयोग में लाया जाना उचित होगा।

इस प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि कुम्भ मेले के आयोजनों पर जो एक लम्बे समय के बाद आते हैं,बड़ी मात्रा में दुकानों,झोपड़ियों आदि का अनाधिकृत

क्रमश.........

जोशी/.

हेतु रूपये,59.00 करोड प्राप्त करने की कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण कराने का अनुरोध किया जाय।

4- मुनि की रेती ऋषिकेश में भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

ग्राम ढालवाला पुराना के खसरा नम्बर,7 में लगभग 1600 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर आवासीय योजना बनाने का प्रस्ताव हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढवाल व आवास विभाग से अनुरोध किए जाने की कार्यवाही से प्राधिकरण को अवगत कराया। इस प्रकरण में अध्यक्ष,नोटिफाइड एरिया मुनि की रेती ने एक लिखित आपत्ति इस आशय से प्रस्तुत क है कि इस भूभाग का विकास प्राधिकरण हरिद्वार को स्थानान्तरण नोटिफाइड एरिया मुनि की रेती के हितों के विरूद्ध होगा।

यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर सभी तथ्यों की पूरी जॉच करके अन्तिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

5- शिवलोक आवासीय योजना भाग-2 के सम्बन्ध में।

अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों के निर्माण को स्थगितकरके इसके स्थान पर 12 उच्च आय वर्ग एंव 18 दुर्बल आय वर्गीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना में लगभग 30 लाख व्यय होने का अनुमान है। निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है और भवनों के पंजीकरण हेतु योजना पंजाब नेशनल बैंक हरिद्वार के माध्यम से दिनॉक 16-9-91 से जनसाधारण को उपलब्ध किए जाने की कार्यवाही से प्राधिकरण को अवगत कराया गया।

सर्वसम्मति से प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

6- हरिद्वार स्थित रोडी बेलवाला क्षेत्र में पार्किंग स्थल बनाये जाने सम्बन्धी।

रोडी बेलवाला क्षेत्र में एक बडा भू-भाग जो वर्तमान में टूरिस्ट बसों/कारें, निजी वाहनों के लिए पार्किंग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है,को सिंचाई विभाग से हस्तान्तरित करके पार्किंग स्थल बनाया जाना एंव कुम्भ मेलों के अतिरिक्त समय में वाहनों के पार्किंग हेतु पार्किंग शुल्क लगाकर प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित तथा साथ ही समय-समय पर अनाधिकृत निर्माणों की रोकथाम से बचने हेतु यह प्रस्तावित है कि इस भूभाग को प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया जाय तो भविष्य में होने वाले अनाधिकृत निर्माणों से बचा जा सकेगा।

इस प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग से भूमि हस्तान्तरण हेतु पुनः अनुरोध किया जाय।

---9

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण

निर्माण हो जाता है जिसे फिर प्रशासन द्वारा हटाये जाने में काफी कठिनाई आती है। यदि यह भू-भाग प्राधिकरण को हस्तान्तरित हो जाता है तो इसमें होने वाले अनाधिकृत निर्माणों से बचा जा सकेगा।

7- टिहरी हाइड्रो डैवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 ऋषिकेश की प्रस्तावित कालोनी के निर्माण के सम्बन्ध में:-

टी0एच0डी0सी0 ऋषिकेश द्वारा टिहरी बांध से प्रभावित परिवारों को पूर्व वासित करने के लिये एक आवासीय योजना ऋषिकेश में निर्मित करके उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण को भेजा गया था। इस प्रस्ताव पर कालोनी के निर्माण का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना स्वीकार कर लिया गया है। इस आवासीय योजना पर लगभग 80.00 लाख व्यय होना सम्भावित है। यह कार्य डिपोजिट वर्क्स के रूप में कराया जाना है। जिससे एक शासकीय नीति को कार्य रूप दिये जाने में प्राधिकरण को सहयोग करने का अवसर मिलेगा। दूसरी तरफ योजना की लागत का 15% सुपर विजन चार्ज प्राधिकरण निधि को प्राप्त होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुनि के रेती, ऋषिकेश तथा हरिद्वार क्षेत्र में कई अन्य भूखंडों को निगोशिएशन करके प्राप्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ताकि प्राधिकरण की भावी योजनाओं में वृद्धि हो सके। इन निगोशिएशन के परिपक्व हो जाने पर इनका विस्तृत ब्यौरा यथा समय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

51

7- टिहरी हाइड्रो डैवलपमैंट कारपोरेशन लि0, ऋषिकेश की प्रस्तावित कालौनी के निर्माण के सम्बन्ध में।

टिहरी बाँध से प्रभावित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण को प्राप्त हुआ था, जिसको स्वीकार करते हुए डिपोजिट वर्क्स के रूप में कराया जाना प्रस्तावित है। इसमें योजना की लागत लगभग 80 लाख रुपये की धन-राशि पर 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज प्राधिकरण को प्राप्त होगा। इससे प्राधिकरण को अवगत कराया गया।

प्रकरण विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

बकाया यदि कोई हो	स्तम्भ -6 से किसी अन्तर का कारण यदि कोई हो	अभ्युक्तियां
10	11	12

आज्ञा से,

ह० बी०के० सिंह ह०
संयुक्त सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या- ह॥/11-5-91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी पाठ की एक प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड ह॥ह॥ में दिनांक को प्रकाशित करने एवं शासन को 500 प्रतियां उपलब्ध कराने के अनुरोध सहित प्रेषित ।

आज्ञा से,

ह० बी०के० सिंह ह०
संयुक्त सचिव ।

पृष्ठांकन सं0- ह॥/11-5-91- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,
2- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,
3- सचिव, विकास प्राधिकरण,
4- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ ।

आज्ञा से,

मद संख्या-4

विषय- अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधों के शमन करने के सम्बन्ध में।

आवास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-5515/11-5-91-6डीए/81 दिनाँक 17-7-91 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को अनाधिकृत निर्माण से संबंधित अपराधों के शमन हेतु संशोधित आदर्श उपविधि (मॉडल ड्राफ्ट) भेजते हुए शासन द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि संशोधित आदर्श उपविधि के अनुसार उपविधि तैयार कर प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करके प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त शासन को अनुमोदन हेतु भेजा जाये ताकि अनुमोदित उपविधि को अन्तिम रूप देकर राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जा सके।

शासन की इस अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत आदर्श उपविधि की प्रति विचारार्थ संलग्न है। इस क्रम में निम्नांकित पर विचार करके प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय प्रदान किया जाना प्रस्तावित है कि क्या आदर्श उपविधि में कुछ संशोधन किया जाना अपेक्षित है। शासन के उक्त शासनादेश दिनाँक 17-7-91 द्वारा भेजी गयी आदर्श उपविधि एवं वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रचलित उपविधि में यह अन्तर है कि-

1- इस आदर्श उपविधि में अनाधिकृत निर्माण की अलग-अलग श्रेणी की न्यूनतम सीमा वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

2-इस आदर्श उपविधि में अनाधिकृत निर्माण के शमन शुल्क की अधिकतम सीमा उपाध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्धारित की जानी है कि शमन शुल्क की अधिकतम धनराशि सम्बन्धित अनाधिकृत निर्माण में व्यय की गयी अनुमानित धनराशि से अधिक न हो। इसके विपरीत वर्तमान में लागू उपविधि में अनाधिकृत निर्माण की एक श्रेणी की शमन शुल्क की अधिकतम सीमा 10,000-00 है।

इसके अतिरिक्त इस प्रकरण पर प्राधिकरण के यदि कोई अन्यथा निर्देश हो सकते हैं, वे दिए जाने प्रार्थनीय हैं।

उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(52) (25)

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-5

संख्या-8083/9 आ-5-92-6डीए/81
लखनऊ : दिनांक: 13 नवम्बर, 1992

अधिसूचना

विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि 1992 का अतिक्रमण करते हुए उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम, 1974, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन्1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-57 के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके हरिद्वार विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अधिनियम की धारा 32 के अधीन अपराधों का शमन करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित उपविधि बनाते हैं -

हरिद्वार विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 1992

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.(1) (1) यह उपविधि हरिद्वार विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 1992 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरिद्वार विकास क्षेत्र पर होगा।

(3) यह उपविधि दिनांक 1-11-92 से प्रवृत्त होगी।

अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इन्कार करना।

2(1) अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन किसी अपराध का शमन करने के लिए अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इन्कार करने में विकास प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

(क) क्या अपराध किसी मुख्य सड़क से संलग्न किसी मकान की विहित रंगों के विरुद्ध रंगाई से संबंधित है और उसका प्रभाव क्या है/होगा ?

(ख) क्या अनुज्ञा पहले दी गई थी या उसे देने से इन्कार कर दिया गया था और उसका क्या प्रभाव है ?

(ग) क्या निर्माण क्रिया कार्यान्वयन के पूर्व निर्माण हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये उचित प्रयास किये गये थे ?

(घ) क्या निर्माण बेसमेंट, सेमी बेसमेंट, भूतल, पहले या अनुवर्ती तलों पर किया गया है तथा अनुलग्न क्षेत्र पर उसका प्रभाव है ?

2[2] निम्नलिखित अपराध शमनीय नहीं होंगे :-

[क] निर्माण, भवन निर्माण उपविधि में अनुमन्य आच्छादन क्षेत्र से अधिक हो ।

[ख] निर्माण अनुमन्य एफ०ए०आर० से अधिक हो ।

[ग] निर्माण किसी सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर किया गया हो ।

[घ] बेसमेंट में भवन के कुर्सी क्षेत्र से अधिक निर्माण हो ।

[ङ] अपराध किसी ऐसे विकास से सम्बन्धित है जो महायोजना में निहित भू-उपयोग के प्रस्तावों के प्रतिकूल है ।

[च] अपराध किसी सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर किसी निकले हुये भाग से सम्बन्धित है ।

शमन शुल्क की अनुसूची

3- भिन्न-भिन्न प्रकार के अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य से उत्पन्न भिन्न-भिन्न प्रकार के अपराधों के लिये धारा-32 के अधीन शमन हेतु शुल्क की राशि वही होगी जो संलग्न अनुसूची-1 में निर्धारित की गयी है ।

प्रतिबन्ध यह है कि व्यवसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक और कार्यालयी उपयोग के लिये निर्धारित क्षेत्रों के लिये ऐसी दरें, अनुसूची-1 में दी गयी दरों की डेढ़ गुनी होगी ।

पृथक शमन शुल्क

4- यदि किसी अपराध में अप्राधिकृत निर्माण एक से अधिक प्रकार के अप्राधिकृत निर्माण के अन्तर्गत आता है तो शमन शुल्क प्रत्येक प्रकार के अप्राधिकृत निर्माण के लिये शुल्क को जोड़ कर लिया जायेगा ।

शमन किये गये विकास का संक्षिप्त विवरण

5- ऐसे अपराध, जिनका शमन किया गया है, संलग्न अनुसूची-2 में विहित प्रपत्र में एक रजिस्टर में सारिणीबद्ध किये जायेंगे और उक्त प्रपत्र में एक संक्षिप्त विवरण विकास प्राधिकरण की अगली बैठक में उसकी सूचना के लिये प्रस्तुत किया जायेगा ।

न्यायालयों में लम्बित प्रकरण

6- उन्हीं अनधिकृत निर्माणों का शमन अनुमन्य होगा, जिनकी बाबत विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमों तथा स्थगनादेश आदि को याची द्वारा वापस ले लिया जायेगा ।

विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण

7- शमन हेतु विचाराधीन अवशेष आवेदनों का निस्तारण भी इस उपविधि के प्राविधानों के अधीन किया जायेगा ।

अनुसूची - 1
[उपविधि संख्या - 3]
शमन शुल्क

अनधिकृत निर्माण/ विकास का प्रकार	शमन शुल्क की धनराशि जहाँ,
	[क] धारा-14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या स्वीकृति के बिना, या
	[ख] ऐसी किसी शर्त का, जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या स्वीकृति दी

		गयी हो, उल्लघंन करके अप्राधिकृत निर्माण/ विकास कार्य किया गया हो या उसे कार्यान्वित किया गया हो ।
1.	सामने प्रतिबाधित स्थान में निर्माण	प्रत्येक तल पर आच्छादित क्षेत्र का 300 रू0 प्रति वर्गमीटर और भूमि की लागत(वर्तमान बाजार मूल्य) का दुगना किन्तु न्यूनतम शुल्क 4000/= होगा और अधिकतम शुल्क गणनानुसार निर्धारित होगा ।
2.	पार्श्व में प्रतिबाधित स्थान में निर्माण	प्रत्येक तल पर आच्छादित क्षेत्र का 200/- प्रति वर्गमीटर और भूमि की लागत (वर्तमान बाजार मूल्य) किन्तु न्यूनतम शुल्क 3000/- होगा और अधिकतम शुल्क गणनानुसार निर्धारित होगा ।
3.	पीछे के भाग में प्रतिबाधित स्थान में निर्माण	प्रत्येक तल पर आच्छादित क्षेत्र का 150/- प्रति वर्गमीटर और भूमि की लागत(वर्तमान बाजार मूल्य)किन्तु न्यूनतम शुल्क 2000/- होगा और अधिकतम शुल्क गणनानुसार निर्धारित होगा ।
4.	यदि व्यवसायिक कार्यालय एवं ग्रुप हाउसिंग में कमरे के भीतर की स्पष्ट ऊँचाई विहित ऊँचाई से कम हो ।	15 प्रतिशत से अधिक ऊँचाई में कमी, कमरे के क्षेत्रफल का 450/-प्रति वर्गमीटर, किन्तु-न्यूनतम शुल्क 3000/- होगा और अधिकतम शुल्क गणनानुसार निर्धारित होगा ।
5.	यदि व्यवसायिक, कार्यालय एवं ग्रुप हाउसिंग में कमरे का क्षेत्रफल विहित क्षेत्रफल से कम हो।	उतने क्षेत्रफल के लिए जितने से कमरे का क्षेत्रफल विहित क्षेत्रफल से कम हो, 300/- प्रति वर्गमीटर किन्तु न्यूनतम शुल्क 4500/- होगा और अधिकतम शुल्क गणनानुसार निर्धारित होगा ।
6.	यदि कमरे में विहित न्यूनतम संवातन की व्यवस्था न हो ।	(क) यदि भूखण्ड 50 वर्गमीटर या उससे कम है तो खिड़की का क्षेत्र अनुमन्य क्षेत्र से कम होने पर कमरे के क्षेत्रफल से 50/- प्रति वर्गमीटर किन्तु न्यूनतम शुल्क 500/- होगा और अधिकतम शुल्क गणनानुसार निर्धारित होगा । (ख) यदि भूखण्ड 50 वर्गमीटर से अधिक है तो खिड़की का क्षेत्र अनुमन्य क्षेत्र से कम होने पर कमरे के क्षेत्रफल का 100/- प्रति वर्गमीटर, किन्तु न्यूनतम शुल्क 2000/- होगा और अधिकतम शुल्क गणनानुसार निर्धारित होगा ।

7.	अहाते की दीवार का निर्माण, जहाँ उप-विभाजन की विधिक स्वीकृति न दी गयी हो ।	रू0 100/- प्रति रनिंग मीटर किन्तु न्यूनतम रू0 4000/- होगा और अधिकतम शुल्क गणनानुसार निर्धारित होगा ।
8.	किया गया निर्माण जहाँ उप-विभाजन की स्वीकृति दी गयी हो या क्षेत्र परिभाषित हो ।	रू0 75/- प्रति रनिंग मीटर किन्तु न्यूनतम शुल्क रू0 3000/- होगा और अधिकतम शुल्क गणनानुसार निर्धारित होगा ।
9.	यदि आवेदक ने अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का अनुपालन किया होता तो विकास कार्य विधि का उल्लघंन न होता ।	आच्छादित क्षेत्र का 100/- प्रति वर्गमीटर किन्तु न्यूनतम शुल्क 5000/- होगा और अधिकतम शुल्क गणनानुसार निर्धारित होगा ।
10.	खनन, भारी वर्षा के पानी की नाली इत्यादि से सम्बन्धित विकास कार्य जो उपर्युक्त श्रेणी-1 से 9 तक के अन्तर्गत न आता हो ।	आच्छादित क्षेत्र का 200/- प्रति वर्गमीटर किन्तु न्यूनतम शुल्क 3000/- रूपये होगा और अधिकतम शुल्क गणनानुसार निर्धारित होगा ।

टिप्पणी:- 1. जहाँ फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण की आवश्यकता होगी, उसकी प्राप्ति के पश्चात् ही शमन करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।

2. भूमि का मूल्य हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों के लिये निर्धारित शिड्यूल रेट के आधार पर निश्चित किया जायेगा लेकिन जिन क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के रेट निर्धारित नहीं हैं उन क्षेत्रों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित रेट ही लागू माने जायेंगे ।

3. सरकारी भूमि, सड़क के विस्तार हेतु आरक्षित भूमि तथा भू-उपयोग के विरूद्ध किसी भी प्रकार के निर्माण का शमन नहीं किया जायेगा ।

4. पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल उपलब्ध न होने पर पार्किंग हेतु निर्धारित क्षेत्रफल का भूमि के मूल्य का दुगना प्रार्थी द्वारा देय होगा ।

अनुसूची - II

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

अप्राधिकृत निर्माण/विकास कार्यों का विवरण जिनका से तक की अवधि में प्राधिकरण द्वारा शमन किया गया ।

मद संख्या-5

विषय- विकास क्षेत्र हरिद्वार के अन्तर्गत ग्राम अहमदपुर कड़च्छ के खसरा नम्बर-505 के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है। श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री गुरुचरण सिंह आदि निवासीगण ग्राम अहमदपुर कड़च्छ परगना ज्वालापुर जिला हरिद्वार ने मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ०प्र० को सम्बोधित पत्र दिनाँक 2-3-91 जिसकी प्रति आयुक्त महोदय एवं सहयुक्त नियोजक, मेरठ को भी प्रेषित की गयी है,के माध्यम से यह अनुरोध किया गया था कि खसरा नम्बर-505 ग्राम अहमदपुर कड़च्छ को महायोजना में आवासीय घोषित किया जाय। प्रश्नगत भूमि मोहन्ड की ओर जाने वाली सड़क के उत्तर में एवं बी०एच०ई०एल० रेलवे लाईन के बीच में है। इसके सामने सड़क के दूसरी ओर टिबड़ी ग्राम की आबादी एवं हरिद्वार विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना है। महायोजना मानचित्र में इस सड़क के उत्तर की ओर जंगलात दर्शाया गया है और प्रश्नगत भूमि भी इसी के अन्तर्गत आती है।

इस प्रकरण के सम्बन्ध में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र० द्वारा तैयार किए गये हरिद्वार क्षेत्र के ड्राफ्ट मास्टर प्लान मानचित्र को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए यह निवेदित है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,उ०प्र० के प्रतिनिधि के विचार सुनने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया जाय कि प्रश्नगत खसरे की भूमि का भू-उपयोग आवासीय किया जाना है अथवा नहीं। अतः प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या-6

विषय- ट्रैफिक प्लान के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 20-4-91 के मद सं01§13§ पर हरिद्वार के ट्रैफिक प्लान तैयार कराने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था कि अर्द्धकुम्भ-92 की ट्रैफिक प्लान के साथ-साथ हरिद्वार के लिए सामान्य समय की ट्रैफिक प्लान भी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से बनवायी जाये। यह इंगित किए जाने पर कि सामान्य समय की ट्रैफिक प्लान तैयार कराये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा रुपये,9-00लाख की धनराशि की माँग की गयी है,यह निर्णय लिया गया था कि इतनी धनराशि में कोई उच्चकोटी का कन्सल्टेन्ट ग्रुप भी अर्द्धकुम्भ मेला तथा सामान्य समय की ट्रैफिक प्लान बनाने में लगाया जा सकता है। तद्नुसार ही प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करने की स्वीकृति दी गयी थी। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने अपने पत्राँक 3361/ट्रैफिक सर्वे हरिद्वार/91 दिनाँक 12-6-91 के द्वारा सूचित किया है कि अर्द्धकुम्भ मेला की ट्रैफिक प्लान एवं सामान्य समय की ट्रैफिक प्लान अलग-अलग तैयार करायी जायें क्योंकि यह दोनों योजनायें अलग-2 प्रवृत्ति की है।

आगामी अर्द्धकुम्भ के ट्रैफिक प्लान तैयार कराने का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा कराया जा रहा है,उसके लिए उनके विभाग को कोई धनराशि देय नहीं है। सामान्य समय की ट्रैफिक प्लान बनाने हेतु पूर्व में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा 9.00 लाख की माँग की गयी थी। जिसके अन्तर्गत सर्वे पर व्यय होने वाले 4.50 लाख सूचित की गयी थी। दिनाँक 21-8-91 को मुख्य सचिव,महोदय की अध्यक्षता में हुई मेला सम्बन्धी बैठक में अर्द्ध कुम्भ मेला के अवसर पर ट्रैफिक के सर्वेक्षण हेतु 3.00 लाख की स्वीकृति दे दी गयी थी। इस धनराशि को आवास विभाग से अवमुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः प्रस्ताव है कि सर्वेक्षण कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा किये जाने के उपरान्त हरिद्वार नगर की सामान्य समय की ट्रैफिक प्लान तैयार करायी जाय और इसमें हरिद्वार में होने वाले विशिष्ट पर्वों एवं आगामी वर्षों में होने वाले कुम्भ/अर्द्ध कुम्भ की ट्रैफिक समस्याओं के निदान के प्रस्ताव भी सम्मिलित कराये जायें। यह कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन द्वारा कराया जाय अथवा इसके लिए कन्सल्टेन्टों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाएं इस विषय में प्राधिकरण का मार्ग दर्शन अपेक्षित है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(54)

मद संख्या-4

अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधों के शमन करने के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण में आवास अनुभाग-5 के शासनादेश-5515/11-5-91-6 डीए/81 दिनाँक 17-7-91 द्वारा अपराधों के शमन हेतु संशोधित आदर्श उपविधि §माडॅल-ड्राफ्ट§ प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन कराने के पश्चात शासन को राजकीय गजट में प्रकाशित हेतु भेजा जाना अपेक्षित था।इस आशय से संशोधित आदर्श उपविधि एंव वर्तमान लागू उपविधि के अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्राधिकरण को अवगत कराया गया।

विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा संशोधित आदर्श उपविधि अनुमोदित की गयी।

मद संख्या-5

विकास क्षेत्र हरिद्वार के अन्तर्गत ग्राम अहमदपुर कडच्छ के खसरा नम्बर-505 के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

ग्राम अहमदपुर कडच्छ के खसरा नम्बर,505 की भू-भाग को हरिद्वार महायोजना में जंगलात में दर्शाया है जिसको आवासीय घोषित किए जाने पर विचारार्थ रखा गया।

विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि को ग्रीनबैल्ट रखा जाय।

मद संख्या-6

ट्रैफिक प्लान के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण में यह प्रस्ताव था कि हरिद्वार की सामान्य समय की ट्रैफिक प्लान तैयार करायी जाय और इसमें हरिद्वार में होने वाले विशिष्ट पर्वों में होने वाले कुम्भ/अर्द्धकुम्भ की ट्रैफिक समस्याओं के प्रस्ताव भी सम्मिलित कराये जायें। यह कार्य नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग द्वारा कराया जाय अथवा इसके लिए कन्सलटेंटों से प्रस्ताव आमन्त्रित किए जायें,विचारार्थ प्राधिकरण के समक्ष रखा गया।

विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अर्द्धकुम्भ मेला के दौरान सर्वे करा लिया जाय,तत्पश्चात समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

---11

मद संख्या– 7

विषयः– उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के आवास के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 20.4.91 की मद संख्या–8 में प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि उपाध्यक्ष के आवास हेतु प्राधिकरण कार्यालय के पीछे नगर पालिका, हरिद्वार की भूमि को प्रयोग में लिए जाने संबंधी विस्तृत प्रस्ताव तैयार कराकर अध्यक्ष/आयुक्त को अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाये ।

इस प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत भूमि नगरपालिका हरिद्वार से विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित होनी चाहिए। यह भूमि नगर पालिका के उस बंगले का वह भू–भाग है जो वर्तमान में नगरपालिका द्वारा जिला जज को आवंटित है। पूर्व में यह बंगला उपाध्यक्ष को आवंटित था। इस भूमि के हस्तान्तरण में समय लग रहा है। वर्तमान में उपाध्यक्ष, सिंचाई विभाग के आवास संख्या–चतुर्थ/3&3& मायापुर जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय परिसर से लगा हुआ है, मे मेला अधिकारी, अर्द्ध कुम्भ–92 के रूप में रह रहे हैं। यह आवास मेला अवधि के लिए सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0शासन के आदेशों के अधीन आवंटित हुआ है। यह प्रस्तावित है कि मेला अवधि के बाद इस आवास को उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के आवास के रूप में तब तक रखा जाये जब तक या तो नगरपालिका द्वारा पुराना उपाध्यक्ष आवास का बंगला पुनः उपलब्ध करा दिया जाये अथवा उसकी भूमि में से अपेक्षित भाग प्राधिकरण को हस्तान्तरित होकर उस पर उपाध्यक्ष आवास बन जाये ।

उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्या-8

विषय- गंगा परियोजना निदेशालय दिल्ली द्वारा संचालित नॉन जलनिगम योजना के सम्बन्ध में।

गंगा प्रदूषण मुक्त करने एवं दूषित होने से बचाने के लिए गंगा परियोजना निदेशालय भारत सरकार नई दिल्ली के सौजन्य से उ0प्र0 शासन के माध्यम से कुछ नॉन जलनिगम योजनायें हरिद्वार में चलायी गयी/चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को शासन द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया है। अतः इन योजनाओं की देख-रेख आवश्यकतानुसार धन अवमुक्त की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से की जाती है। वर्तमान में चालू योजनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए प्राधिकरण से अनुरोध है कि आवश्यकतानुसार समुचित निर्देश देने पर भी विचार किया जाय-

1- हरिद्वार में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण:-

इस योजनाहेतु भारत सरकार द्वारा रुपये 40.40 लाख अवमुक्त किये गये थे। यह कार्य नगर पालिका, हरिद्वार द्वारा सम्पादित कराया जा रहा था। यह योजना वर्ष 88-89 से प्रारम्भ की गयी थी। तथा नगर पालिका द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार योजना कार्यों को पूर्ण करके विद्युत शवदाह गृह को 30-9-91 तक चालू किया जाना था। उसके विपरीत योजना की गति अत्यन्त धीमी है।

इस क्रम में यह अवगत कराना प्रासांगिक होगा कि शासन की अपेक्षा के अनुसार क्वालिटी कन्ट्रोल सैल का गठन किया गया था। इस सैल के अध्यक्ष, सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार है। क्वालिटी कन्ट्रोल सैल के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी निरीक्षण आख्या के अनुसार निर्माण कार्यों में तकनीकी कमियां पाई गयी है। इसमें भवन की स्पट्रीटमैन्ट कार्य तथा आर0सी0सी0 कार्य सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता है। इस क्रम में उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका हरिद्वार को अ0शा0प0 संख्या 2211/91-92 दिनांक 5-9-9 तथा अ0शा0प0 संख्या 2377 दिनांक 19-9-91 भेज कर यह अपेक्षा की गयी है कि निरीक्षण दौरान पाई गयी कमियों को अधिक से अधिक एक सप्ताह के अन्दर ठीक कराया जाय तथा निर्माण कार्य में अपेक्षित गति प्रदान करके कार्य को निर्धारित स में पूर्ण कराया जाय। परन्तु नगर पालिका द्वारा इनके निराकरण के विषय में प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है। और न ही कार्य का शीघ्र पूर्ण होना सम्भावित ही प्रतीत होता है। इस योजना में अभी एक चौथाई से भी अधिक कार्य शेष है।

2- गंगा नदी में मत्स्य संवर्धन के सम्बन्ध में:-

इस योजना के अन्तर्गत हरकी पैड़ी पर गंगा नदी में मत्स्य संवर्धन हेतु ए

क्रमशः.....

1.00 लाख शासन द्वारा अवमुक्त किये गये थे। इसके विरुद्ध रूपये 65.00 हजार की धनराशि मत्स्य विभाग सहारनपुर को दी गयी थी। उनके द्वारा इस धन का सदुपयोग सम्भावित होने के कारण शासन को आवश्यक जांच हेतु प्रकरण भेजा गया था। इस प्रकरण में जी0पी0डी0 द्वारा जांच किये जाने पर पाया गया कि मत्स्य विभाग द्वारा योजना में कार्यवाही नहीं की गयी तथा मत्स्य विभाग के सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा वित्तीय अनियमितितायें भी की गयी है। सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध जांच करने हेतु निदेशक मत्स्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से अनुरोध किया गया है साथ ही जी0पी0डी0 के पत्र सं0 3-11014/1/88-जी0पी0डी0 दिनांक 19-9-91 द्वारा सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ से यह अपेक्षा की गयी है कि इस योजना हेतु मत्स्य विभाग को हरिद्वार विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिये गये रूपये 65,000=00 को जी0पी0डी0 को वापिस किया जाय।

3- सीवर सफाई हेतु क्रय किये गये उपकरणों के सम्बन्ध में:-

इस योजना में सीवर सफाई हेतु एक सीवर जैटिंग मशीन तथा चार गली-पिट एम्पीटीयर के क्रय हेतु रूपये 38.27 लाख जी0पी0डी0 द्वारा अवमुक्त किये हैं। प्रश्नगत उपकरण नगर पालिका, हरिद्वार द्वारा उ0प्र0 शासन के निर्देशों के अधीन प्राप्त किये जा रहे हैं। तथा विकास प्राधिकरण द्वारा नगर पालिका, हरिद्वार के माध्यम से सम्बन्धित फर्म मैसर्स एअर टैक प्रा0लि0 दिल्ली को भुगतान किया जा रहा है। एक सीवर जैटिंग मशीन एवं तीन गली पिट एम्पीटीयर की आपूर्ति हो जाने पर फर्म को इन उपकरणों के मूल्य का 90 प्रतिशत अर्थात रूपये 28.22 लाख भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जी0पी0डी0 के निर्देशों के अधीन रूपये 4.87 लाख एक्साइज ड्यूटी हेतु अवमुक्त किये गये हैं एक्साइज ड्यूटी की यह धनराशि तथा अवशेष एक गली-पिट एम्पीटीयर पर आरोपित होने वाली एक्साइज ड्यूटी का धन अवमुक्त नहीं हुआ है। इसके लिए रूपये 5.90 लाख की धनराशि अवमुक्त करने हेतु जी0पी0डी0 तथा उ0प्र0 शासन से अनुरोध गया है। यदि यह धनराशि अवमुक्त होने में विलम्ब होता है तो सम्बन्धित फर्म को भुगतान की जाने वाली धनराशि अवमुक्त होने में कठिनाई हो सकती है। आगे धन अवमुक्त करने में एक कठिनाई यह भी है कि शासन द्वारा अनुमोदित निविदा शर्तों के अनुसार मैसर्स एअर टैक प्रा0लि0 दिल्ली को परफारमेन्स गारन्टी के रूप में कान्ट्रेक्ट वैल्यू के 30 प्रतिशत धन की अर्थात रूपये 10.70 लाख अर्थात मशीनों की कुल कीमत का 30 प्रतिशत की बैंक गारन्टी तीन वर्ष हेतु प्रस्तुत की जानी थी

क्रमशः.....

परन्तु इसके विपरीत मात्र 0.54 लाख की बैंक गारन्टी तीन वर्ष हेतु प्रस्तुत करते हुए पर्च द्वारा यह तर्क दिया गया है कि परफारमैन्स कान्ट्रेक्ट की 30 प्रतिशत धनराशि जो 0.54 लाख आती है। बैंक गारन्टी के रूप में अपेक्षित है। प्राधिकरण की राय में ऐसा किया जाना आई0पी0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत निविदा शर्तों के विपरीत है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत उपकरणों का मूल्य बहुत अधिक अर्थात लगभग रुपये 45.00 लाख होगा। तथा पर्च द्वारा प्रस्तु की गयी बैंक गारन्टी के आधार पर ही मशीनों का तीन वर्ष तक पर्च द्वारा परफारमैन्स किया जाना सम्भव हो सकेगा। अतः पर्च द्वारा रुपये 10.70 लाख की बैंक गारन्टी तीन वर्ष हेतु प्रस्तुत किये जाने पर ही पर्च को रोका गया, 10 प्रतिशत भुगतान किये जाने का स्टैण्ड प्राधिकरण द्वारा लिया गया है। इस अपेक्षा से सम्बन्धित स्थिति को स्पष्ट करने हेतु प्राधिकरण की ओर से पत्र सं0 मीमो/लेखा-1(क)-6/90-91 दिनांक 17-6-91 संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग (गंगा सैल) उ0प्र0 शासन, लखनऊ को भेजा गया है। इसकी प्रति जी0पी0ई0 तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, हरिद्वार को भी भेजी गयी है, परन्तु अपेक्षित स्पष्टीकरण/निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुये है।

मद संख्या-7
उपाध्यक्ष,हरिद्वार विकास प्राधिकरण के आवास के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण में यह प्रस्ताव था कि उपाध्यक्ष,वर्तमान में सिंचाई विभाग के आवास संख्या-चतुर्थ-3§3§ मायापुर जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण परिसर से लगा हुआ है,में मेलाधिकारी,अर्द्धकुम्भ-92 के रूप में रह रहे हैं।यह आवास मेला अवधि के लिए सचिव,सिंचाई विभाग उ0प्र0 शासन के आदेशों के अधीन आवंटित हुआ है।यह प्रस्तावित किया गया कि मेला अवधि के बाद इस आवास को उपाध्यक्ष,हरिद्वार विकास प्राधिकरण के आवास के रूप में तब तक रखा जाये जब तक या तो नगरपालिका द्वारा पुराना उपाध्यक्ष आवास जिसमें अब जिलाजज का निवास है,को पुनः उपलब्ध करा दिया जाय अथवा उसकी भूमि में से अपेक्षित भाग प्राधिकरण को हस्तान्तरित होकर उस पर उपाध्यक्ष आवास बन जाय।

विचारोपरान्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-8
गंगा परियोजना निदेशालय दिल्ली द्वारा संचालित नॉन जलनिगम योजनाओं के संबंध में

1- हरिद्वार में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण-

भारत सरकार द्वारा 40.40 लाख रूपये इस कार्य हेतु अवमुक्त किए गये थे। यह नगरपालिका हरिद्वार द्वारा 30-9-91 तक चालू किया जाना था,परन्तु इस योजना में धीमी गति के कारण एक चौथाई से भी अधिक कार्य शेष है।

प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह कार्य 30-11-91 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर चालू कर दिया जाय।

2- गंगा नदी में मत्स्य संवर्द्धन के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण में जी0पी0डी0 व शासन स्तर से धन के दुरूपयोग की जाँच हो रही है।प्राधिकरण को स्थिति से अवगत कराया गया।

3-सीवर सफाई हेतु क्रय किए गये उपकरणों के सम्बन्ध में।

इस प्रकरण में प्रस्ताव के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष,हरिद्वार विकास प्राधिकरण /प्रोजेक्ट मैनेजर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

---12

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

जोशी/

मद संख्या–9

विषय– प्राधिकरण से सम्बन्धित उच्चन्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन महत्त्वपूर्ण वादों के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण वाद उच्चन्यायालय में तथा दो वाद सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। इनका विस्तृत विवरण प्राधिकरण के सूचनार्थ एवं विचारार्थ निम्नांकित हैं–

विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन वादों के सम्बन्ध में एक तथ्य यह है कि नगरपालिका हरिद्वार जिन वादों में विपक्षी/प्रतिपक्षी होती है और वे वाद अवैध खोकों निर्माणों/अतिक्रमणों आदि से सम्बन्धित है उनसे प्राधिकरण भी प्रभावित होता है।अतः जनहित में नगरपालिका हरिद्वार से यह अपेक्षा की गयी है कि ऐसे वादों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण प्राधिकरण की इस बैठक में पालिका के प्रतिनिधि द्वारा प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत किए जाँय।

1– रिट संख्या–1030 व 896 वर्ष 1986.

इन रिट याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 28 फरवरी, 1989 को पारित आदेश में हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार के लिए यह आदेश किए गये थे कि नगरपालिका द्वारा आर रोड हरिद्वार में चित्रा टाकीज के सामने 60 लकडी के खोकों के स्थान पर पक्की दुकानों के निर्माण हेतु नक्शे हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा 30 अप्रैल, 1990 तक स्वीकृत कर दिए जाँय।इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सन्दर्भित रिट याचिकाओं में हरिद्वार विकास प्राधिकरण पक्ष नहीं था। उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त सन्दर्भित आदेश के आधार पर नगरपालिका हरिद्वार द्वारा प्रस्तावित नक्शे स्वीकृत हेतु प्राप्त हुए। स्थिति की समीक्षा करने से यह तथ्य प्रकाश में आये कि प्रश्नगत क्षेत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्य सड़क के किनारे स्थित होने रेलवे सम्पत्ति से मिला होने, स्थल पर रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट लागू होने तथा प्रस्तावित निर्माण महायोजना सड़क की चौडाई से प्रभावित होने के कारण मानचित्र स्वीकृत करना सम्भव नहीं है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण की दशम बैठक दिनाँक 19–4–90 को यह विषय प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया तथा प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि भीड के बढते भार को दृष्टिगत रखते हुए और मुख्य स्थानों पर बढती भीड के फलस्वरूप सड़कों को चौडा करने की अपरिहार्य आवश्यकता को माननीय सर्वोच्चन्यायालय के समक्ष रखा जाये और उस पर जो आदेश न्यायालय द्वारा पारित हो, तदनुसार कार्य–वाही की जाये।सचिव, विकास प्राधिकरण को इस दिशा में उचित कदम उठाने हेतु अधिकृत

----2

भी किया गया था।प्राधिकरण के निर्णय के अनुपालन में एक प्रार्थनापत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सचिव के शपथ पत्र दिनांक 23 अप्रैल,1990 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसमें विकास प्राधिकरण हरिद्वार के उपरोक्त लिखित रिट याचिका में पार्टी बनाने तथा प्राधिकरण के नक्शों पास करने सम्बन्धी कठिनाईयों को सुनकर आदेश पारित करनेकी प्रार्थना की गयी थी। उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 2 मई 1990 को सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया कि रिट याचिका संख्या- 1030 में प्रस्तावित स्थल से लगे हुए रेलवे क्वार्टर से आगे स्टेशन रोड की तरफ जो खाली भू-स्थल उपलब्ध है उसमें से 6 फीट चौडा भूस्थल उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार तथा रेलवे विभाग को पक्ष बनाया जाये और उस भूमि का विस्तृत मानचित्र तैयार कराकर विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत किया जाये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28-2-90 को नक्शे पास करने के सम्बन्ध में पारित आदेश भी अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।प्रस्तावित दुकानों के निर्माणहेतु स्थल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सचिव हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 5-8-91 जो वरिष्ठ अधिवक्ता,सर्वोच्च न्यायालय को सम्बोधित है के अनुसार यह विकल्प दिया गया था कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण की टिपडी स्थित आवासीय कालोनी में थोडी भूमि शेष है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा तत्काल निर्देशित किया जाता है तो उस भूमि पर इन्हें दुकाने निर्माण कर उपलब्ध करायी जा सकती हैं ।इसी के समीप वाटरवर्क्स कम्पाउण्ड के नाम से नगरपालिका,हरिद्वार की काफी जमीन पडी है जिसकी स्थिति देखते हुए दुकाने निर्मित की जा सकती हैं। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि टिपडी योजना आवासीय है।अतः उसमें व्यावसायिक दुकानों की अनुमति देने हेतु प्राधिकरण बोर्ड विशेष परिस्थितियों में ही विचार कर सकता है। दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नगरपालिका हरिद्वार द्वारा बनायी गयी पुरुषार्थी मार्केट के प्रथम तल व द्वितीय तल पर और अधिक दुकाने बनाकर विस्थापितों को दुकाने दी जा सकती हैं, इस स्थल के विषय में ये भी स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि दुकाने बनाने हेतु इस भू-उपयोग की आवश्यक अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष परिस्थितियों में प्राप्त करना आवश्यक होगा। वर्तमान में महायोजना मानचित्र के अनुसार निर्मित क्षेत्र एंव आंशिक भाग राजकीय एंव अर्द्धराजकीय भू-उपयोग में दर्शाया गया है।

अपर रोड पर जिन 60 दुकानों के स्थान पर पक्की दुकाने बनाने के सम्बन्ध में वाद सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है के सन्दर्भ में अर्द्धकुम्भ मेला प्रशासन द्वारा पत्र दिनांक 14-9-91 के अन्तर्गत ये अवगत कराया गया था कि मार्ग की संकीर्णता

तथा रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन से लगे होने के कारण खोकों से यातायात में व्यवधान होगा, इसके अतिरिक्त नालों पर पक्की दुकाने बन जाने से नाली की सफाई का कार्य अवरुद्ध हो जायेगा। मेला प्रशासन का यह भी मत है कि यदि नगरपालिका में अतिक्रमण की बढोत्तरी पर कडा अंकुश न लगाया गया तो वर्ष 1998 एंव इसके उपरान्त कुम्भ/अर्द्धकुम्भ मेले की व्यवस्था करना असम्भव हो जायेगा। दिनाँक 17-9-91 को माननीय न्यायालय ने उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, अध्यक्ष, नगरपालिका को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। उस दिन नगरपालिका व हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में यह दलील दी गयी कि रेलवे की भूमि महायोजना के अनुसार सडक विस्तार में जायेगी ही, इसलिए सडक की अपेक्षित चौडाई छोडते हुए रेलवे की भूमि पर ही दुकाने बनाया जाना उपर्युक्त होगा। रेलवे को इस भूमि के बदले में नगरपालिका द्वारा अन्य स्थान पर उतनी ही भूमि उपलब्ध करायी जा सकती है। इस क्रम में नगरपालिका हरिद्वार द्वारा तद्नुसार प्रस्ताव भी प्रेषित किया जाना ज्ञात हुआ है। प्रकरण में सुनवाई की तिथि 30-9-91 है।

2- रिट पिटीशन संख्या 466/1988 लघु व्यापार संगठन रोडवेज बस स्टेशन, हरिद्वार बनाम राज्य सरकार के सम्बन्ध में तथ्य यह है कि इस पिटीशन में पहले हरिद्वार विकास प्राधिकरण को पक्ष नहीं बनाया गया था यद्यपि बाद में पिटीशन कर्ता द्वारा प्राधिकरण को पक्ष बनाया गया है। प्राधिकरण अधिवक्ता की राय के मुताबिक विकास प्राधिकरण द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया और न ही कोई प्रतिवाद दाखिल किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनाँक 28-2-90 के अनुपालन में हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी थी इस निर्णय के अनुसार मुसिफ ने यह तय करना था कि पेटीशनर्स वास्तव में व्यापार कर रहे थे व नगरपालिका ने उतनी संख्या में पक्की दुकाने बनाकर देनी थी।

3- उच्चन्यायालय, इलाबाद में विचाराधीन रिट संख्या-9142 वर्ष 1991/सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 8197/91 नरेश कुमार धीमान बनाम उ0प्र0 शासन, विकास प्राधिकरण हरिद्वार एंव अन्य।

यह रिट याचिका उच्चन्यायालय इलाहाबाद में श्री नरेश कुमार धीमान बनाम उ0प्र0 शासन, विकास प्राधिकरण हरिद्वार आदिके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा आरोपित किए गये बाह्य विकास शुल्क एंव सुपरविजन चार्ज लिए जाने के विरुद्ध दायर की गयी थी। इस याचिका पर माननीय उच्चन्यायालय द्वारा दिनाँक 1-4-91 को स्थगन आदेश पारित करके बाह्य विकास शुल्क तथा सुपरविजन चार्ज लिए जाने पर रोक लगा दी गयी थी, इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता,

----4

उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से नेरेटिव तथा प्रतिशापथ पत्र दिनाँक 26-4-91 को न्यायालय में दाखिल कराया गया था, इसके सम्बन्धित नेरेटिव की माँग संयुक्तसचिव, आवास उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भी किए जाने पर प्राधिकरण द्वारा सूचित कर दिया गया है कि वान्छित नेरेटिव तथा प्रतिशापथ पत्र मुख्य स्थायी अधिवक्ता उ0प्र0, शासन के माध्यम से दाखिल करा दिया गया है। इन अभिलेखों की प्रति शासन को भी भेजी जा चुकी हैं। इस वाद में दिनाँक 24-9-91 के प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा मुख्य स्थाई अधिवक्ता से जानकारी प्राप्त करने पर विदित हुआ कि दाखिल किए गये प्रतिशापथ पत्र के सम्बन्ध में विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रति उत्तर दाखिल करने हेतु न्यायालय से समय माँगा गया था जो उन्हें प्रदान कर दिया गया था। वह समय अवधि भी व्यतीत होने जा रही है। अतः यह मामला कभी भी अन्तिम निर्णय हेतु न्यायालय में प्रस्तुत हो सकता है।

उपरोक्त वादों की स्थिति प्राधिकरण के सूचनार्थ एंव विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-10

अन्य विषय- अध्यक्ष की अनुमति से-

अन्य विषय- प्राधिकरण में स्टाफ की स्वीकृति एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में

प्राधिकरण में स्टाफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में विगत बैठक दिनांक 20-4-91 में प्राधिकरण द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुसार प्राधिकरण के कार्य कलापों में वृद्धि की अपेक्षा की गयी थी। इस बैठक में मद संख्या-2 एवं 3 के सन्दर्भों ये विदित होगा कि अपेक्षित गति प्रदान किए जाने के लिए कार्य कलापों में वृद्धि की गयी है। प्राधिकरण में पहले से ही स्टाफ की नितान्त कमी है। नियमतः शासन से पद सृजित हो जाने के पश्चात ही नियमित नियुक्तियां की जानी चाहिए इसे ध्यान में रखकर एवं प्राधिकरणकी बैठक दिनांक 30-11-97 की मद संख्या-10 के लिए गये निर्णय के अनुसार शासन को स्टापिंग पैटर्न भेजकर पदों के सृजन का अनुरोध किया जाता रहा है। हाल ही में उपाध्यक्ष द्वारा सचिव,आवास उ0प्र0शासन,लखनऊ को अ0शा0पत्र सं0 195/प्रशा0-2[क]-1-17/89-91 दिनांक 3 जुलाई,1991 द्वारा कार्य हित में निम्न-लिखित पदों का सृजन का अनुरोध किया गया है:-

1- आशुलिपिक पद-	2
2- कनिष्ठ लिपिक-पद	6
3- सहायक लेखाकार पद-	1
4- चालक	1
5- चतुर्थ श्रेणी पद-	9

इन पदों के सृजन का औचित्य भी शासन को प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः प्राधिकरण के समक्ष यह प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि विचार करके समुचित निर्देश एवं इस समस्या के निराकरण हेतु दिशा निर्देश प्रदान किया जाय।

इस क्रम में यह उल्लेखनीय है कि कार्य की आवश्यकता के अनुसार कनिष्ठ लिपिक,चालक,एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर क्रमशः पांच,एक,पांच,कर्मचारि दैनिक वेतन पर कार्यरत है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ ने यह मांग रखी है कि कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में रखा जाय। अतः वस्तु स्थिति प्रस्तुत करते हुए प्राधिकरण से निवेदन है कि इस प्रकरण में समुचित दिशा निर्देश प्रदान किए जाय।

2- कर्मचारी संघ हरिद्वार विकास प्राधिकरण,हरिद्वार ने श्री अशोक कुमार शर्मा को लेखाकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने का प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष रखने का अनुरोध इस आशय से किया है कि इस पद पर शासन की स्वीकृति आवश्यक है।इस प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि लेखाकार का पद काफी समय पूर्व से स्वीकृत था,परन्तु किसी योग्य एवं अर्ह अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण इसे भरा नहीं जासका। अब इस पद पर पूर्व सचिव, आवास,उ0प्र0शासन,लखनऊ से दूरभाष पर स्वीकृति प्राप्त करके दिनांक 20.7.91 को श्री अशोक कुमार शर्मा को इस पद पर एक वर्ष की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति पर लेकर कार्यभार ग्रहण कराया गया है।सचिव,आवास से स्वीकृति की पुष्टि हेतु शासन को पत्र डाला गया है।हाल ही में आवास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-4259/11-5-91-129/91 दिनांक 6.9.91 के द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि विकास प्राधिकरण में केन्द्रीयित सेवा के पदों पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति शासन की स्वीकृति प्राप्त करके ही की जाये।तथा ऐसी प्रतिनियुक्ति पर कार्य-रत पदाधिकारियों को उनके पैतृक विभाग को वापस कर दिया जाय। जहाँ यह उल्लेखनीय है कि सचिव,आवास से दूरभाष पर स्वीकृति प्राप्त करके ही श्री अशोक कुमार शर्मा को लेखाकार के पद पर दिनांक 20.7.91 को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के कारण यह प्रकरण उक्त शासनादेश दिनांक 6.9.91 की परिधि से बाहर है।

प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-9,
प्राधिकरण से सम्बन्धित उच्चन्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन महत्
वादों के सम्बन्ध में।

इन वादों की स्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराया गया।

मद संख्या-10,
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय-

1- प्राधिकरण में स्टाफ की स्वीकृति एंव लेखाकार के पद पर श्री अशोक कुमार शर्मा
की प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ की मॉग पर दैनिक वेतन कर्मचारि
के नियमितिकरण तथा पदों के सृजन , लेखाकार की प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण
प्राधिकरण के समक्ष समुचित दिशा निर्देश एंव सूचनार्थ प्रस्तुत किए गये। इस पर प्राधिकरण
द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण आगामी बैठक में वित्त विभाग के प्रति-
निधि की उपस्थिति में विचार हेतु प्रस्तुत किया जाय।

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

जोशी/